न्यायालय न्यायनिर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट कोटपूतली
(कोटपूतली–बहरोड़)

पीठासीन अधिकारी :– ओम प्रकाश सहारण (आर.ए.एस)
प्रार्थना पत्र संख्याः– 24/2024

हारून खान खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर।
–आवेदक

बनाम

1. श्री दिनेश भाई चौधरी पुत्र श्री वेलजी भाई, उम्र करीब 28 वर्ष, (इंचार्ज एवं विक्रेता) मैसर्स मेहसाना डिस्ट्रीक्ट कोपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर लि०, दूध सागर डेयरी, सोतानाला, बहरोड, जिला अलवर निवासी चौधरी वास नवावास (राजपुर), सरतानपुर, मेहसाना (गुजरात)।
2. मैसर्स मेहसाना डिस्ट्रीक्ट कोपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर लि०, दूध सागर डेयरी, पोस्ट बॉक्स नं० 1, स्टेट हाईवे, मेहसाना, गुजरात।

–अभियुकागण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) एफ.एस.एस. एक्ट 2006 रूल्स 2011

निर्णय

दिनांक 19/12/25

1. उपर्युक्त उनवानी संस्थित प्रकरण परिवादी श्री हारून खान द्वारा न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया है कि मैं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अलवर में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादन कर रहा हूँ और मेरा गजट नोटिफिकेशन राजस्थान राजपत्र विशेषांक में दिनांक 26 जुलाई 2011 के गजट भाग 2 (क) के क्रमांक 38 पर अंकित है। श्रीमान् आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन. स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश क्रमांक 475/10.08.2011 के अनुसार मुझे कार्य क्षेत्र कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अलवर आवंटित किया गया है एवं श्रीमान आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) एवं निदेशक (जन स्वा०), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज० जयपुर के पदस्थापन आदेश 444 दिनांक 14.05.2018 के द्वारा मुझे कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर में पदस्थापित किया गया है। अतः अलवर जिले के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्य क्षेत्र में आते है। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियाँ न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।
2. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 29.07.2020 को सुबह 11.00 बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी दौराने गश्त खाद्य पदार्थों की चौकिंग हेतु सामान नमूनीकरण बैग एवं जांच दल सहित मैसर्स मेहसाना डिस्ट्रीक्ट कोपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर

लि०. दूध सागर डेयरी, सोतानाला, बहरोड, जिला अलवर स्थित पर पहुँचा। उक्त स्थल पर श्री दिनेश चौधरी खाद्य पदार्थ मिश्रित दूध का बेचान, आमजन को कर रहा था। उक्त विक्रेता को अपना परिचय देकर उक्त विक्रेता से उसका नाम एवं पता पूछा जिस पर विक्रेता ने अपना नाम श्री दिनेश चौधरी पुत्र श्री वेलजी भाई, उम्र करीब 28 वर्ष, (इंचार्ज एवं विक्रेता) निवासी चौधरी वास नवावास (राजपुर), सरतानपुर, मेहसाना (गुजरात) का होना बताया। मैंने उक्त विक्रेता से खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञप्ति/रजिस्ट्रेशन वर्ष 2019 दिखाने को कहा जिस पर उक्त विक्रेता ने मौके पर केन्द्रीय खाद्य अनुज्ञा पत्र, आधार कार्ड, खाद्य अनुज्ञा पत्र, एम्प्लॉय आईडी कि छायाप्रति प्रस्तुत की जो कि न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

3. यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा, निरीक्षण करने पर पाया कि उक्त दूध संकलन केन्द्र पर एक साईलो टैंक में करीब 6 हजार लीटर मिश्रित दूध आम जनता की विक्री वास्ते रखा हुआ था। उक्त मिश्रित दूध में मिलावट का शक होने पर विक्रेता से वास्ते नमूना जाँच क्रय करने की इच्छा फार्म नं0 5ए देकर व्यक्त की जिसपर विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर करवायें एवं मैन स्वयं ने हस्ताक्षर किये। फार्म सं. 5ए की एक प्रति विक्रेता को देकर रसीद प्राप्त की। उक्त साइलो टैंक में रखे करीब 6000 लीटर मिश्रित दूध में से ऐजीरेटर से अच्छी तरह हिला मिला कर उसमें साइलो किट से एक साफ सूखी प्लास्टिक की बाल्टि में 2 लीटर मिश्रित दूध क्रय किया। उक्त खरीदशुदा मिश्रित दूध की कीमत विक्रेता को मौके पर रु 90/– (अक्षरे नब्बे रूपये मात्र) नकद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर करवाये एवं मैने हस्ताक्षर किये। जो न्यायनिर्णायन आवेदन के साथ संलग्न है।
4. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूना जांच हेतु क्रय किये गये 2 लीटर मिश्रित दूध को हिला मिलाकर चार अलग अलग साफ सूखी चौडे मुँह कि बोतलो में बराबर–बराबर मात्रा में डाला एवं प्रत्येक बोतल में 40–40 बूंद फार्मलीन की डालकर बोतलो को एयर टाईट बन्द किया। विक्रेता एवं गवाहान के समक्ष लेबल तैयार कर उन पर श्रीमान् डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक बी–6267 दर्ज कर विक्रेता, गवाहन के हस्ताक्षर करवाकर व मैने स्वयं ने हस्ताक्षर कर प्रत्येक बोतल पर गोंद से चिपकाया। प्रत्येक बोतल को अलग–अलग मोटे खाकी कागज में लपेट कर एवं किनारों को सफाई से मोड़कर गोंद से चिपकाया। प्रत्येक बोतल पर पेपर स्लिप कोड़ एवं सीरीयल नं. बी–6267 जो श्रीमान् डी. ओ. एवं मु. चि. एवं स्वा. अधिकारी अलवर द्वारा हस्ताक्षरित मेरे पास उपलब्ध थी, को प्रत्येक बोतल पर नींचे से उपर तक पूरे राउण्ड पर गोंद से चिपकाकर मोटे मजबूत धागे से बांधकर नियमानुसार 4–4 जगह उपर नीचे एवं दोनों साइडों पर सील चपडी कर प्रत्येक सील्ड नमूने पर विक्रेता के हस्ताक्षर इस तरह करवाये कि आधे हस्ताक्षर पेपर स्लीप पर व आधे खाकी कागज पर आ गये एवं गवाहन व स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारों सील्ड नमूना भागो को अपने जाप्तें में लिया।
5. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा की गयी कार्यवाही की मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाया एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता एवं गवाहन ने भी पढ़कर, सुनकर एवं समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। जो कि न्यायनिर्णायन आवेदन के साथ संलग्न है।

6. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक प्रति पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना मौके पर सील किया। एक नमूना भाग एवं फार्म सं. 6 की एक प्रति के साथ आउटर कवर में सील मोहर कर खाद्य विशलेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, अलवर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। फॉर्म सं. 6 की दो प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर, सील मोहर कर खाद्य विशलेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, अलवर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुश्त पर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो नमूना भाग (ii व iii भाग) मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म सं. 6 की एक प्रति के डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर को जमा कराकर रसीदें प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।
7. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को श्रीमान् डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर के पत्रांक 140 दिनांक 10.08.2020 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विशलेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, अलवर से प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जाँच क्रय किया गया खाद्य पदार्थ मिश्रित दूध अवमानक खाद्य पदार्थ (Substandard Food) होना पाया गया। उक्त पत्रांक एवं जॉच रिर्पोट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।
8. यह कि कार्यालय पत्रांक 215 दिनांक 09.10.2020 द्वारा उक्त विक्रेता से फर्म सम्बन्धित जानकारी चाही गयी। उक्त विक्रेता द्वारा कोई जवाब आज दिनांक तक भी प्रस्तुत नहीं किया है। उक्त पत्रांक न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।
9. उक्त प्रकरण से सम्बन्धित समस्त दस्तावेज श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अलवर के समक्ष वास्ते अभियोजन स्वीकृती जारी करने बाबत् प्रस्तुत किये। श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अलवर द्वारा समस्त पत्रावली का अवलोकन, विचार एवं मनन करने के बाद अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुये पत्र क्रमांक/मुख्य/एफएसएसए/:020/299 दिनांक 25.11.2020 के द्वारा प्रकरण में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त प्रकरण में माननीय न्याय न्यायनिर्णयन अधिकारी के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया है। जो कि न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।
10. यह कि उक्त प्रकरण में अभियुक्तगण द्वारा अवमानक खाद्य पदार्थ (Substnadard Food) मिश्रित दूध का विक्रय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 मे निर्धारित है। अतः उपरोक्त आवेदन श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत है।
11. प्रकरण इस न्यायालय कि क्षेत्राधिकार में होने के कारण पत्रावली अपर जिला मजिस्ट्रेट अलवर से स्थानान्तरण होकर प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थीगण की तल्बी हेतु नोटिस जारी किया गया बाद तामिल अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता दीपक कुमार योगी उपस्थित आकर जबाब पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। अप्रार्थी अधिवक्ता ने अपने जबाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को

दोहराते हुये निवेदन किया कि खाद्य विश्लेषक अलवर द्वारा अपनी रिपोर्ट में लिए गये मिश्रित दूध के नमूने में 40 डिग्री सेल्सियस पर निकाले गये वसा की बी.आर.रीडिंग जो की 40 से 43 होनी चाहिए थी लेकिन 43.8 आई है जो निर्धारित मापदण्ड से 0.8 अधिक है जिसका कारण खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा सही से नमूना नही लिया जाना तथा एनएबीएल प्राधिकृत प्रयोगशाला से जॉच नही कराने के कारण है। अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णयों में यह माना है कि निर्धारित मापदण्ड से थोडा अंतर आने का कारण सही से नमूना नही लिया जाना हो सकता है। इसलिए प्रस्तुत परिवाद को निरस्त कर अभियुक्तगण को दोष मुक्त करने की कृपा करें।

12. हमने पत्रावली तथा अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया तथा की गई बहस पर मनन किया। खाद्य विश्लेषक अलवर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/371/एक्ट/2020/437 दिनांक 31.07.2020 के अनुसार खाद्य पदार्थ को अवमानक माना है जबकि अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत जवाब में अंकित किया है खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा एनएबीएल प्राधिकृत प्रयोगशाला से खाद्य पदार्थ की जॉच नही कराने के कारण खाद्य पदार्थ अवमानक पाया गया है परन्तु अपने कथनों के समर्थन में कोई दस्तावेजात् रिकॉर्ड या सबूत पेश नही किये है इसलिए केवल जुबानी कथनों के आधार पर पर्याप्त वजह दस्तावेजी रिकॉर्ड के अभाव में प्रयोगशाला से प्राप्त जाँच रिपोर्ट को गलत नहीं माना जा सकता है। इस प्रकार अभियुक्तगण अवमानक खाद्य पदार्थ मिश्रित दूध का विक्रय कर खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लघंन किया है। इसलिए खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के तहत अभियुक्तगण को दण्डित किया जाना उचित समझते है। अतः अभियुक्त श्री श्री दिनेश भाई चौधरी पुत्र श्री वेलजी भाई, उम्र करीब 28 वर्ष, (इंचार्ज एवं विक्रेता) मैसर्स मेहसाना डिस्ट्रीक्ट कोपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर लि०, दूध सागर डेयरी, सोतानाला, बहरोड, जिला अलवर निवासी चौधरी वास नवावास (राजपुर), सरतानपुर, मेहसाना (गुजरात) एवं मैसर्स मेहसाना डिस्ट्रीक्ट कोपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर लि०, दूध सागर डेयरी, पोस्ट बॉक्स नं० 1, स्टेट हाईवे, मेहसाना, गुजरात पर 25000/- ..... शास्ति राशि आरोपित की जाती है। उक्त राशि जरिये चालान एक माह में जमा कराकर रसीद चालान पेश करें।

निर्णय आज दिनांक 19.12.25 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्याय निर्णायक अधिकारी
एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटपूतली